

प्रज्ञा,

एस०पी० गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 378 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 30 अगस्त, 2003

विषय:- तक्षशिला पब्लिक स्कूल बिजलीपुरा अन्टा शाहजहाँपुर को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करतें हुये मुझे यह कठने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उक्त राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति न दी जाय:-

- 1। विद्यालय की परीक्षा सौभाग्यी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2। विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3। विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मध्यापी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० मा० शिक्षा परिषद द्वारा संगठित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बीसक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल भार दि उ०प्र० मा० शिक्षा संदी फिफेड इतना शिनेश नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० मा० शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

- 158 संस्था/शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त
शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्वय वेतनमानों तथा अन्य भत्तों
से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
168 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त
अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्वय
सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेंगे।
178 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे
संस्था उनका पालन करेगी।
188 विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा।
198 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/
संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबंध यह भी होगा कि विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक तैनात किये जायेंगे।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और
यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन
नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की बूक या शिथिलता
बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापूर्ति प्रमाण पत्र वापस ले
लिया जायेगा।

भवदीय,

शिव प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

पू०संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहाँपुर ।
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, तक्षशिला पब्लिक स्कूल बिजलीपुरा अन्टा शाहजहाँपुर ।
- 6- गार्ड बुक ।

Raj Kumar

Mark
Manager

Principal
Takshashila Public School
Bijliipura, Shahjahanpur

आज्ञा से,
शिव प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

PRINCIPAL
Takshashila
PUBLIC SCHOOL

Takshashila Public School
Bijliipura, Shahjahanpur Ph.: 224555